तारीख पेशी / अहकाम जो इस हुक्म की जारी हुए	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मंजारी हुए
22.04.2022	पत्रावली आज पेश हुई। दोनों पक्षों के वकील उपस्थित। दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगणों से बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 9 नियम 13 व आदेश 9 नियम 7 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 वास्ते निरस्त करने एकतरफा जारी आदेश संख्या 78/2020 आदेश दिनांक 11.01.2021 में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया कि विप्रार्थी संख्या 1 ता 5 भीखाराम वगैरा द्वारा प्रस्तुत राजस्व आवेदन संख्या 78/2020 अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.अ. का न्यायालय के समक्ष ग्राम मौखावा खुर्द के खेत खसरा संख्या 17, 18 कुल रकबा 174–03 बीघा का नेखमवन्दी व पैमाईश जरिये पत्थगढी का आदेश विप्रार्थीगण की विधिक तामीली के बिना एवं विप्रार्थी संख्या 2 व 3 की फौतगी की सूचना दिये बिना ही मृतक व्यक्तियों के विरूद्ध पारित करवाया गया है, माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 11.01.2021 जो मृतक के विरूद्ध फर्जी तरीके से डाक तामीली बताकर माननीय न्यायालय को गुमराह व अंधेरे में रखकर पारित करवा दिया जो प्रारम्भ से शून्य एवं स्वतः निष्प्रभावी होने से न्यायालय द्वारा आवेदन संख्या 78/2020 दिनांक 11.01.2021 को किया गया प्रार्थीगण के पक्ष में आदेश खारिज किया जावे तथा प्रार्थीगण को समुचित सुनवाई का अवसर दिया जाकर पुनः पत्रावली को निर्णित किया जावे। वकील अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 ने अपनी बहस में कथन किया कि तहसील में सवार का पद रिक्त होने से लम्बे समय से न्यायालय के सम्मनों की तामीली डाक द्वारा ही कराई जाती है, इसलिये उक्त प्रकरण में भी प्रार्थीगण(विप्रार्थीगण) की तलबी रजिस्टर्ड डाक द्वारा करवाई गई। नोटिस तलबी के बाद ही विप्रार्थी संख्या 2 व 3 की मृत्यु हुई है अलावा इसके विप्रार्थी संख्या 3 के वारिसान पहले से ही मूल आवेदन में वतौर पक्षकार उपलब्ध हैं। विप्रार्थीगण के बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने के कारण न्यायालय द्वारा डाक द्वारा तलबी को पर्याप्त तलबी मानते हुए ही मूल आवेदन संख्या 78/2020 में आदेश दिनांक 11.01.2021 पारित किया गया है। इस आदेश को अपास्त कराने के लिये यह आवेदन पत्र मूल आवेदन के विप्रार्थी संख्या 5 पाबूराम पुत्र अमराराम द्वारा प्रस्तुत किया गया है जबकि पाबूराम का नोटिस डाक द्वारा प्रोपर तामील है, इसे उक्त प्रार्थना पत्र लाने का कोई अधिकार ही नहीं है। आगे अपनी बहस में कथन किया कि नेखमबंदी की कार्यवाही करने से पूर्व सभी पक्षकारों को नोटिस देकर मौके पर बुलाने के पश्चात ही सभी पक्षकारान के रूबरू नेखम कार्यवाही सम्पादित की जाती है। उक्त प्रकरण में भी भू.अ.निरीक्षक द्वारा सभी पक्षकारों के साथ साथ प्रतिवादी संख्या 2 व 3 मृतक पक्षकारों के वारिसानों को भी नोटिस देकर उक्त प्ररकण की कार्यवाही किये जाने की सूचना दी गई है, इस प्रकार उक्त आदेश पक्षकारों को बिना सूचना व मृतक व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की श्रेणी में नहीं आता है। अलावा इसके मृतक व्यक्ति विप्रार्थी संख्या 2 व 3 के विरूद्ध प्रार्थीगण की इश्तदुआ नहीं है प्रकरण में केवल प्रफोर्मा पक्षकार होने से पक्षकार बनाया गया था। अलावा इसके आदेश 9 नियम 13 डिकी को अपास्त करने के लिये आवेदन लाया जाता है तथा आदेश 9 नियम 7 धारा 151 सीपीसी का प्रार्थना पत्र वाद विचाराधीन रहने के दौरान ही लाया जा सकता है। जबकि आलोच्य आदेश दिनांक 11.01.2021 डिकी की ताईद में नहीं [illegible] रूप से भी पालना हो चुकी है जिससे प्रार्थना पत्र आदेश 9 निय[illegible] गौर किये जाने योग्य नहीं है। वकील विप्रार्थीगण द्वा[illegible] दृष्टान्त 2008 (2) आरआरटी 1138 शर्ब[illegible] महारा, 2009 (1) आरआरटी 632 इंद्राज [illegible] व अन्य प्रस्तुत कर निवेदन कि[illegible] भू–राजस्व अधिनियम के तहत की जा रही [illegible]वाही पर सीपीसी के प्रावध[illegible] नहीं होते हैं जिससे प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सीपीसी का चलने योग्य नहीं होने से खारिज किया जावे। अलावा इसके यदि आलोच्य आदेश में विप्रार्थीगण को कोई आपत्ति है तो अपीलान्ट कोर्ट में चाराजोही कर सकते हैं, इस न्यायालय में आदेश 9 नियम 13 पेश करने का अधिकार नहीं है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13, आदेश 9 नियम 7 धारा 151 सीपीसी मय खर्चा	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 16:02:20 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, गुढ़ामालानी

खारिज फरमाया जावे।

हमने दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगणों की बहस पर [illegible] प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13, आदेश 9 नियम 7 सीपीसी के परिप्रेक्ष्य [illegible] का अवलोकन अध्ययन किया तथा मूल राजस्व आवेदन संख्या 78/2020 [illegible] धारा 111–128 रा.भू.अ. की सम्पूर्ण पत्रावली का गहराई से अवलोकन व [illegible] किया गया। वकील विप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा यह कथन करते हुए कि आदेश दिनांक 11.01.2021 जो मृतक के विरूद्ध फर्जी तरीके से डाक तामीली बताकर माननीय न्यायालय को गुमराह व अंधेरे में रखकर पारित करवा दिया जो प्रारम्भ से शून्य एवं स्वतः निष्प्रभावी होने से न्यायालय द्वारा आवेदन संख्या 78/2020 दिनांक 11.01.2021 को किया गया प्रार्थीगण के पक्ष में आदेश खारिज किया जावे तथा प्रार्थीगण को समुचित सुनवाई का अवसर दिया जाकर पुनः पत्रावली को निर्णय करने हेतु प्रस्तुत किया गया है। अवलोकन पत्रावली यह तथ्य स्पष्ट हुआ है कि प्रकरण में विप्रार्थीगण की तलवी डाक द्वारा करबाई गई। सम्मनों के अवलोकन अनुसार दिनांक 11.09.2020 को डाक द्वारा विप्रार्थीगण के सम्मन सर्व किये गये तथा दिनांक 11.01.2021 तक विप्रार्थीगण के न्यायालय में हाजिर नहीं आने के कारण तथा दिनांक 11.01.2021 को भी विप्रार्थीगण को न्यायालय समय में दौराने सुनवाई तीन बार तीन–तीन आवाजें दिलवाई गईं। अर्थात डाक द्वारा सम्मन सर्व के तीन माह पश्चात तक विप्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में कोई चाराजोही नहीं की गई तथा दिनांक 11.01.2021 को भी दौराने सुनवाई आवाजें दिलवाने के बाबजूद भी उपस्थित नहीं होने से न्यायालय द्वारा विप्रार्थीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही कार्यवाही करते हुए दोनों पक्षों की उपस्थिति में हस्तगत प्रकरण की नेखम कार्यवाही के आदेश दिये गये। एक बार के लिये यह मान भी लिया जावे कि आदेश दिनांक 11.01.2021 को विप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 फौत हो चुके थे, लेकिन आदेश की पालनार्थ नियुक्त कमीश्नर तहसीलदार गुड़ामालानी को यह निर्देश थे कि दौनों पक्षों की उपस्थिति में ही इस आदेश की कार्यवाही सम्पादित की जानी है, इन्हीं निर्देशों/आदेश की पालना में नेखमबंदी हेतु गठित राजस्व टीम अर्थात भू.अ.निरीक्षक द्वारा सभी विप्रार्थीगण पक्षकारान यहां तक की मृतक पक्षकारान के वारिसान को भी जरिये नोटिस सूचित करते हुए नेखम कार्यवाही किये जाने की तिथि निश्चित करने के पश्चात ही नेखम की कार्यवाही सम्पादित की गई। कार्यवाही की संलग्न मौका फर्द से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है कि आलोच्य आदेश दिनांक 11.01.2021 की कार्यवाही समस्त पक्षकरान के रूबरू की गई है, मौका फर्द की अंतिम पंक्ति में यह अंतिक है कि "विप्रार्थीगण ने फर्द में हस्ताक्षर करने से इन्कार किया।" इस प्रकार विप्रार्थीगण को उक्त कार्यवाही का पूर्ण ज्ञान व जानकारी थी। अतः उक्त आदेश मृत्क व्यक्ति के विरूद्ध एवं विप्रार्थीगण को बिना सूचित किये एकतरफा कार्यवाही की श्रेणी में नहीं आता है। तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 2009 (1) आरआरटी 632 में यह प्रतिपादित किया गया है कि "आदेश 9 नियम 13 के प्रावधान एक पक्षीय डिक्री अपास्त करने हेतु लागू होते हैं–वर्तमान मामले में डिकी पारित नहीं हुई– भू अभिलेख अधिकारी के समक्ष नियमित वाद नहीं–निर्णीत, आदेश में क्षेत्राधिकारिता की त्रुटि अथवा अवैधता अथवा अनियमितता नहीं है।" एवं न्यायिक दृष्टान्त 2008 (2) आरआरटी 1138 में वृहद पीठ ने यह निर्णय दिया है कि भू [illegible] इसके अधीन नियमों के अन्तर्गत वादों, अपीलों, निगरानियों, रिव्यू तथा [illegible] में सीपीसी के प्रावधान लागू नहीं होगें।" अलावा इसके [illegible] आलोच्य आदेश दिनांक 11.01.2021 से असन्तुष्ट [illegible] अपील करने हेतु स्वतन्त्र है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार [illegible] प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 व आदेश 9 नियम 7 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रकिया संहिता 1908 वास्ते निरस्त करने एकतरफा जारी आदेश संख्या 78/2020 आदेश दिनांक 11.01.2021 स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णय सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर, गुड़ामालानी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 16:02:20 IST
Reason: SelfAttested